संख्या-31/2021/1947/96-आयुष-1-2021-57/2017टी0सी0-1

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ दिनांक 17 जून, 2021**

विषय- सप्तम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून 2021) के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-04/योगा-2021-22/योजना दिनांक 03.06.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सप्तम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून 2021) के आयोजन के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत धनराशि रू0-70.00 लाख (रूपया सत्तर लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
3- धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जाएगा। आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जाएगा। आहरित धनराशि किसी बैंक/डाक घर आदि में नहीं रखा जायेगा।
4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी कार्य मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
5- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-101-आयुर्वेद-06-अन्य व्यय-0602-योग पखवाडा एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-31/2021/1947(1)/96-आयुष-1-21, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

(3) संबंधित जिलाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद)।

(4) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद)।

(5) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(7) समस्त संबंधित अधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।